न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 206/2026

भोने यादव उर्फ भुनेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार

मानपुर थाना कांड सं0 141/2025

अंतर्गत धारा 116(2), 115(2), 109, 352, 303(2), 3(5) B.N.S

06.03.2026

दिनांक 28.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **भोने यादव उर्फ भुनेश्वर यादव** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 17.09.2025 को समय 09:00 बजे रात को उनके ही गांव के भोने यादव, विनय यादव, नीतीश यादव, रोहित यादव, रॉकी कुमार सभी लोग घर के पास आए गाली–गलौज करने लगे। इतने में भोने यादव रड से सूचक के माथा पर वार किया जिससे सर फट गया। सभी लोग ईट फेंकने लगा जिससे सूचक के पिताजी को चोट लगा तथा विनय यादव एवं रॉकी यादव तीन फायरिंग करके चला गया और नीतीश यादव एक मशीन लेकर चला गया तथा सभी लोग घर को क्षतिग्रस्त करके भाग गए।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदक की ओर से पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। यह वाद पूर्व में हुए वाद मानपुर थाना कांड सं0 161/24 एवं मानपुर थाना कांड सं0 137/24 से बचने के लिए किया गया है। प्राथमिकी विलंब से दर्ज की गई है जिसका कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। बी0एन0एस0 की धारा 303(2) एवं 109 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है । इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा 1623/25 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 28.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह स्वीकार करते है कि इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि उभयपक्ष आपस में पड़ोसी है । प्राथमिकी में

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।</u>

नियमित जमानत आवेदन संख्या 206/2026

भोने यादव उर्फ भुनेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार

मानपुर थाना कांड सं0 141/2025

अंतर्गत धारा 116(2), 115(2), 109, 352, 303(2), 3(5) B.N.S

<u>लगातार</u>

06.03.2026

आवेदक के विरूद्ध सूचक के सर पर लोहे के रड से मारने का आरोप है जबकि जख्म–प्रतिवेदन रिपोर्ट मे जख्म को Lacerated wound on Right side पाया गया है तथा जख्म कड़े व भेाथरे पदार्थ से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा 1623/25 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 28.01.2026 (करीब डेढ़ माह) से न्यायिक हिरासत में है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000/–रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।